ई मेल/ 518

राजस्थान सरकार

निर्वाचन विभाग

क्रमांकः प. /स्वीप/ 5791 दिनांकः 14/10/2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति :
1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
2. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय स्वीप कमेटी,
4. समस्त स्वीप नोडल अधिकारी
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी

विषय :विधानसभा आम चुनाव– 2013 – स्वीप योजना – श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों के लिये नकद पुरस्कार योजना ।

विषयान्तर्गत विधान सभा आम चुनाव–2013 के दौरान जिलों में स्वीप योजनान्तर्गत उत्कृष्ठ कार्य करने वाले तीन सर्वश्रेष्ठ जिलों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जावेगा।

इस नकद पुरस्कार योजना के अन्तर्गत चयनित तीन सर्वश्रेष्ठ जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय स्वीप कमेटी तथा स्वीप नोडल अधिकारियों को निम्नानुसार पुरस्कार दिये जाएंगे :–

पुरस्कार	जिला निर्वाचन अधिकारी	उप जिला निर्वाचन अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अध्यक्ष, जिला स्तरीय स्वीप समिति	स्वीप नोडल ऑफीसर
प्रथम पुरस्कार	51,000 रुपये	31,000 रुपये	31,000 रुपये	31,000 रुपये
द्वितीय पुरस्कार	41,000 रुपये	21,000 रुपये	21,000 रुपये	21,000 रुपये
तृतीय पुरस्कार	31,000 रुपये	11,000 रुपये	11,000 रुपये	11,000 रुपये

उपरोक्त पुरस्कारों के लिये वोटर टर्न आउट में विधानसभा चुनाव–2008 के मुकाबले, विधानसभा चुनाव–2013 में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि वाले जिले पात्र होंगे, परन्तु जिन जिलों में गत विधान सभा चुनावों में वोटर टर्न आउट 75 प्रतिशत या उससे अधिक था, वे 5 प्रतिशत वृद्धि होने पर भी पात्र माने जायेंगे।

सर्वश्रेष्ठ तीन जिलों के लिए पुरस्कारों का निर्णय चुनाव प्रक्रिया समाप्ति के उपरान्त निम्न मापदण्ड के आधार पर किया जावेगा:–

मापदण्ड	मूल्यांकन का आधार
विधान सभा चुनाव–2013 के दौरान जिले में मतदान प्रतिशत में वृद्धि– विधानसभा चुनाव– 2008 के मुकाबले मतदान के प्रतिशत मे कम से कम 10 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए परन्तु गत चुनावों में 75 प्रतिशत या अधिक वोटर टर्न आउट वाले जिलों में कम–से–कम 5 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिये।	• 10 प्रतिशत वृद्धि पर – 10 अंक • 10 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 1 प्रतिशत वृद्धि पर – 1 अंक (उदाहरण के तौर पर 12 प्रतिशत की वृद्धि होने पर 12 अंक दिए जाएंगे। गत चुनावों में 75 प्रतिशत या अधिक वोटर टर्न आउट जिलों में भी 5 प्रतिशत वृद्धि पर 5 अंक तथा प्रत्येक 1 प्रतिशत वृद्धि पर 1 अंक)

रिटर्निंग अधिकारियों को 11,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जायेगा। इस संबंध में निम्न मापदण्ड रहेंगे :–

मापदण्ड	पारितोषिक राशि
विधानसभा चुनाव– 2008 के मुकाबले विधानसभा चुनाव–2013 में मतदान के प्रतिशत मे 10 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि अर्जित करने वाले समस्त रिटर्निंग अधिकारी, परन्तु जिन विधान सभा क्षेत्रों में गत विधान सभा चुनावों में वोटर टर्न आउट 75 प्रतिशत या अधिक था, उनके लिए 5 प्रतिशत वृद्धि का मापदण्ड रहेगा।	• विधानसभा क्षेत्र के वोटर टर्न आउट में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि वाले प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी – 11,000 रुपये

यह योजना आगामी विधान सभा चुनावों के लिए ही लागू होगी। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

14/10

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

क्रमांकः प. /स्वीप/ दिनांकः

प्रतिलिपि :– श्री अक्षय राउत, महानिदेशक (आईईसी), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली–110001।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी